



2026:AHC:23013

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1470, वर्ष 2026

नरेन्द्र कुमार गौतम

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: आनंद मोहन पांडेय, प्रभाकर सिंह

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद मोहन पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने यह कथन दिया है कि वे निर्देशों से सुसज्जित हैं और मामले में बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और उनका निवेदन है कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कर दिया जाए। पक्षों की सहमति से, याचिका का निस्तारण प्रारंभिक चरण पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब याचिकाकर्ता सहायक उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था, तब दिनांक 06.02.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता से यह पूछा गया था कि पुलिस कर्मचारी के वेतन के गलत निर्धारण के संबंध में उससे वसूली क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए एक माह का समय मांगते हुए दिनांक 19.02.2025 को एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया था, तथापि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा ने आदेश दिनांक 26.02.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ता के पक्ष को नकारते हुए 3,26,910/- रुपये की वसूली का दंड अधिरोपित कर दिया।

4. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित आदेश इस सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। तर्क यह है कि यद्यपि 06.02.2025 का कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को प्राप्त हुआ था और याचिकाकर्ता को 20.02.2025 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, परंतु याचिकाकर्ता ने उससे पूर्व ही

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19.02.2025 को प्रभावी उत्तर देने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय माँगा था, तथापि, उस अनुरोध को किसी भी समय कोई अलग आदेश पारित कर अस्वीकार नहीं किया गया, बल्कि याचिकाकर्ता को उक्त अनुरोध की अस्वीकृति के बारे में उस विवादित आदेश के माध्यम से पता चला जिसके द्वारा वसूली की गई है। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विवादित आदेश को निरस्त किया जाए और मामले को प्राधिकारी के पास नया आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाए।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता स्वयं उस स्थिति के लिए उत्तरदायी है जो उसने उत्पन्न की है और उसे इसका परिणाम भुगतना होगा, तथापि, उनके अनुसार, औचित्य की मांग यह थी कि समय विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार करने हेतु एक पृथक आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

7. मैंने प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि 06.02.2025 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.02.2025 निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने 19.02.2025 को उत्तर देने हेतु एक माह का समय माँगा था, तथापि, विवादित आदेश 26.02.2025 को पारित कर दिया गया। वस्तुतः, एक बार जब समय विस्तार का अनुरोध किया गया था, तो प्रतिवादियों का यह कानूनी दायित्व था कि वे उस अनुरोध को अस्वीकार करने हेतु एक पृथक आदेश पारित करते ताकि याचिकाकर्ता उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कारण बताओ नोटिस का उत्तर दे पाता। उक्त प्रक्रिया का पूर्णतः अभाव है क्योंकि अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय अंतर्निहित है और दंड अधिरोपित करने वाले उसी आदेश में सम्मिलित है, अतः विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

9. तदनुसार, याचिका निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्णीत की जाती है:

(क) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2025 निरस्त किया जाता है।

(ख) याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा।

(ग) आदेश 31.03.2026 तक पारित किया जाएगा।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

3 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति

विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"